

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 99/46/18 (G.C.M.S. 2018/00101)

दायर दिनांक 15-03-2018

कैलाश जोजा साहबराम जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज०

----- वादीया

बनाम

- 1- इन्द्रा जोजा दुलीचन्द जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज०
- 2- सुल्तान पुत्र श्री परमाराम फौत
- 2/1 - धाई पत्नी श्री सुल्तान
- 2/2- जगदीश पुत्र श्री सुल्तान
- 2/3- हेमराम पुत्र श्री सुल्तान
- 2/4- विमला पुत्री श्री सुल्तान पत्नी श्री सुखराम जाति जाट साकिन मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०
- 3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

अकवाम जाट साकिनान सोमासर तहसील
सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०

----- प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित :-

- 1- राजाराम भादू , राजवीर भादू अभिभाषक वादीगण ।
- 2- सुरेन्द्र सुथार प्रतिवादी नं० 1
- 3- पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

--- निर्णय ---

दिनांक :- 25/09/2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी , अभिभाषक प्रतिवादी नं० 1 एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर टी ए प्रस्तुत कर राजस्व तहसील सूरतगढ के वाके रोही टुकराना के खाता सं० 75/46 के खसरा नं० 306 में 10.601 हे० बारांनी खातेदारी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है । जिसमें कब्जा कास्त मुताबिक खाता विभाजन का निवेदन किया । जिस पर श्रीमान जी द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 14-01-2020 को जारी कर राजस्व तहसीलदार सूरतगढ को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवाने के आदेश दिये गये । जिस पर राजस्व तहसीलदार सूरतगढ ने जैरवाद रकबा का मौका पर जाकर खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया । जिसके मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण का मौका पर कब्जा अनुसार निम्न प्रकार से है :-

--- 2 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)



| खातेदार का विवरण | ख0न0 | रकबा | किस्म | कब्जा मुताबिक दिशा |
|---|------|-----------|--------|--|
| i-कैलाश जोजा साहबराम जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ खातेदार | 306 | 3.534 हे0 | बारानी | पूर्व में प्रतिवादी नं0 2 व पश्चिम में प्रतिवादी नं0 1 |
| ii-इन्द्रा जोजा दुलीचन्द जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ | 306 | 3.534 हे0 | बारानी | पूर्व में वादीया कैलाश व पश्चिम में खसरा नं0 306 की सीमा (कांकड़) |
| iii- सुल्तान वल्द परमाराम जाति जाट साकिन घमुडवाली हाल सोमासर तह0 सूरतगढ | 306 | 3.533 हे0 | बारानी | पूर्व में खसरा नं0 306 की सीमा (कांकड़) व पश्चिम दिशा में वादीया कैलाश |

विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में शामिल होने के पश्चात उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वादीया एवं प्रतिवादीगण ने दावा व जबाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त खाते की भूमि का खाता विभाजन कब्जा कास्त के मुताबिक मांगा गया तथा विभाजन प्रस्ताव में वादी एवं प्रतिवादीगण का मुताबिक कब्जा कास्त तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिस पर दोनों पक्षकारों द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए मुताबिक कब्जा कास्त खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा रोही ठुकराना के खाता सं0 75/46 के खसरा नं0 306 में 10.601 हे0 बारानी खातेदारी भूमि का निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है

| खातेदार का विवरण | ख0न0 | रकबा | किस्म | कब्जा मुताबिक दिशा |
|---|------|-----------|--------|--|
| i-कैलाश जोजा साहबराम जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ खातेदार | 306 | 3.534 हे0 | बारानी | पूर्व में प्रतिवादी नं0 2 व पश्चिम में प्रतिवादी नं0 1 |
| ii-इन्द्रा जोजा दुलीचन्द जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ | 306 | 3.534 हे0 | बारानी | पूर्व में वादीया कैलाश व पश्चिम में खसरा नं0 306 की सीमा (कांकड़) |
| iii- सुल्तान वल्द परमाराम जाति जाट साकिन घमुडवाली हाल सोमासर तह0 सूरतगढ | 306 | 3.533 हे0 | बारानी | पूर्व में खसरा नं0 306 की सीमा (कांकड़) व पश्चिम दिशा में वादीया कैलाश |

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा खसरे में मिन लगाते हुये खसरा तरमीम करने के आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो। पत्रावली वाद तरतीब तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/09/2020 को खुले न्यायालय में सनाया गया।



महाराज कलेक्टर
(निर्णय कुमार मीणा)
एवं न्यायालय अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व सूरतगढ़)

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकदम इश्तदाई

अज अदालत -सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास - श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

अनवान :

कैलाश जोजा साहबराम जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कंला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ राज0 ----- वादीया

बनाम

- 1- इन्द्रा जोजा दुलीचन्द जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कंला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ राज0
- 2- सुल्तान पुत्र श्री परमाराम फौत
2/1 - धाई पत्नी श्री सुल्तान } अकवाम जाट साकिनान सोमासर तहसील
2/2- जगदीश पुत्र श्री सुल्तान } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
2/3- हेमराम पुत्र श्री सुल्तान }
- 2/4- विमला पुत्री श्री सुल्तान पत्नी श्री सुखराम जाति जाट साकिन मोकलसर तहसील
सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
- 3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 46 वर्ष 2018 यह
मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रुबरु हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीया राजवीर
भादू एवं प्रतिवादी नं0 1 का अभिभाषक सुरेन्द्र सुथार व राज पैरोकार तहसीलदार
सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादीया स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर अन्तिम डिकी जारी करने के
आदेश प्रदान किये जाते है :-

| खातेदार का विवरण | ख0न0 | रकबा | किस्म | कब्जा मुताबिक दिशा |
|---|------|-----------|--------|--|
| i-कैलाश जोजा साहबराम जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ खातेदार | 306 | 3.534 हे0 | बारानी | पूर्व में प्रतिवादी नं0 2 व पश्चिम में प्रतिवादी नं0 1 |
| ii-इन्द्रा जोजा दुलीचन्द जाति जाट साकिन 4 आर पी डबली कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ | 306 | 3.534हे0 | बारानी | पूर्व में वादीया कैलाश व पश्चिम में खसरा नं0 306 की सीमा (कांकड़) |
| iii- सुल्तान वल्द परमाराम जाति जाट साकिन घमुडवाली हाल सोमासर तह0 सूरतगढ | 306 | 3.533हे0 | बारानी | पूर्व में खसरा नं0 306 की सीमा (कांकड़) व पश्चिम दिशा में वादीया कैलाश |

इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद करते हुये वादीया एवं प्रतिवादीगण के
खसरो में मीन लगाते हुये नक्शे में अलग-2 तरमीम करने का आदेश दिये जाते है ।

नोज ...x...मुबलिग ...x...बाबतx.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...x.....फसदो की पालना.
.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25/09/2024 को जारी की गई ।



सहायक कलक्टर
(मनोज कुमार मीणा)
एवं उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (गंगानगर)